संख्याःफिन(पेंन)बी(1 0)-3/2006-खण्ड़-1
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (पेंशन) विभाग ।

प्रेषक

अतिरिक्त प्रधान सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश ।

3. मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व कांगडा,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला-171002, 19 सितम्बर, 2015 ।

विषयः- पेंशन मामलों को निपटाने में विलम्ब ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 29 जून, 2015 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 56 के अन्तर्गत सभी विभागाध्यक्षों को अगले 24 से 30 महीनों के दौरान सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सूचियाँ महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को भेजना अनिवार्य है परन्तु महालेखाकार कार्यालय ने उनके पत्र संख्या पैन्शन-1/पै.वि.क./जोशी/रिपोर्ट/2015-16/1670-71 दिनांक शून्य द्वारा इस विभाग के ध्यान में लाया है कि विभिन्न विभागों द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत वांछित सूचियाँ नहीं भेजी जा रही है।

इसी तरह केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 61(4) के अन्तर्गत प्रावधान है कि सभी सेवा निवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन मामले उनकी सेवा निवृत के 6 महीने पहले महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को प्रेषित किए जायें ताकि सेवा निवृत हो रहे कर्मचारियों के पेंशन मामलों को उनकी सेवा निवृति से पहले निपटा कर समय पर पेंशन लाभ दिया जा सके । परन्तु उप-महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश ने इस विभाग के ध्यान में लाया है कि विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्षों/ कार्यालय अध्यक्षों एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 के प्रावधानों विशेष कर नियम 56 व नियम 61 की अनुपालना नहीं की जा रही है जिसके कारण पेंशनभोगियों को लम्बे समय तक उनके पेंशन लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है ।

अतः आप से अनुरोध है कि आप अपने विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्षों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करे कि वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 56 से 61 की सख्ती से अनुपालना करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों/ अधिकारियों के पेंशन मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 के नियम 61(4) के अन्तर्गत सेवा–निवृत्ति से 6 महीने पहले महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को भेजें जायें। सभी विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि नियम 56 में वांछित सूचना भी निश्चित समयावधि के भीतर महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को समय–समय पर भेजा करें।

इसके अतिरिक्त अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सख्त हिदायतें जारी करें कि वह सेवा निवृत अधिकारियों/ कर्मचारियों की जन्म तिथि, ऐम्पिड कोड, डी.डी.ओ. कोड, फार्म–3 में पारिवारिक पेंशन के लिए जन्म तिथि और सेवा निवृति की सही तिथियाँ विशेष तौर पर मृत कर्मचारियों और स्वेच्छा से निवृत कर्मचारियों की जन्मतिथिं भी विवरणियों में दर्शाना सुनिश्चित करें । यह सभी विभागों से अपेक्षित है कि वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का सख्ती से अमल किया जाए ताकि सेवानिवृत अधिकारियों/ कर्मचारियों के पेंशन मामलों का समय–बद्ध तरीके से निपटारा हो तथा सेवावृति लाभों का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

(अक्षय सूद)
विशेष सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
दूरभाषः0177–2621798

पृष्ठांकनसंख्याःफिन(पेंन)बी(10)–3/2006–खण्ड़–1 दिनांकःशिमला–2, 19/09/2015.
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उप–महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (ले0वह0)हिमाचल प्रदेश, शिमला–3 को उनके पत्र संख्याःपेंशन–1 /पैं.वि.क./जोशी/रिपोर्ट/2015–16/1670-71 दिनांक शून्य के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रधान आवासीय आयुक्त, हि0प्र0 हिमाचल भवन, 27–सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली ।
4. मुख्य अभियन्ता, हि0प्र0 लो0नि0विभाग/ सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग ।
5. पंजीयक, हि0प्र0 उच्च न्यायालय, शिमला–1।
6. समस्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक/ उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक/अनुभाग अधिकारी(वित्त एवं लेखा) हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय ।

विशेष सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

अमृत/अनुदेश